न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 17 / 2024

अनवान : –

1. चितरंजन पुत्र स्व0 अनिल कुमार उम्र 2 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता अन्जू पत्नी स्व0 अनील कुमार जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील फेफाना तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 19/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता सं0 42/39 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि जिसके गैरसायलान स0 1 व 2 प्रत्येक 3/16 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि सायला के दादा गौरूराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ने रोही मौजा चक 3 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 25/25 की कुल 1.7230 हैक्ट भूमि दर्ज तथा वादी के दादा गोरूदास पुत्र रामजीलाल ने उक्त कृषि भूमि की आय से खरीद कर रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 42/39 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि मे से गैरसायल सं0 1 व 2 प्रत्येक के 3/16 हिस्सा भूमि दर्ज करवा दी। गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज 3/16 हिस्सा भूमि पैतृक भूमि है जिसमे सायल का जन्मजात हक हिस्सा है। सायल अपना हक व हिस्सा अलग करवाकर गैरसायल स0 1 से अपना खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है इन्ही आशयों की सायल न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

गैरसायल स0 1 अपने नाम दर्ज भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करना चाहता है तथा गैरसायल स0 2 भी पारिवारिक सदस्यों से मिलीभगत कर सायल की वाद भूमि बिना विभाजन करवाये गैरसायल स0 1 से मिलीभगत कर वाद भूमि को रहन, बय व मुन्तकिल करने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है और जब तक सायल के अधिकारों की घोषणा न हो एवं खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व लगान अलग न हो तब तक गैरसायल स0 1 व 2 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौजा रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 42/39 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 की खरीदशुदा है जिस पर खरीद के समय से उत्तरदाता बिना विवाद के काबिज है वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 की खरीद होने के कारण सायल का कोई हक हिस्सा नही है एवं उत्तरदाता ने उक्त वाद भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 24.05.2000 तथा दिनांक 07.01.1998 से कमला देवी से खरीद की है। अप्रार्थी स0 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि अप्रार्थी स0 2 की जरिये बैयनामा खरीदशुदा है अप्रार्थी उक्त वाद भूमि पर काबिज है एवं सायल वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार भी दर्ज नही है अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द करवा पाने का अधिकारी नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की सायल के दादा ने हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित सम्पति से खरीद कर गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज करवा दी अतः उक्त भूमि साझा आय से अर्जित होने के कारण पैतृक है तथा गैरसायल स0 2 अपने नाम दर्ज संयुक्त खाता की भूमि को रहन, बैय करना चाहता है अतः अप्रार्थी स0 1 ता 2 के विरूद्ध ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की उक्त वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 व 2 की खरीदशुदा भूमि है उक्त वाद भूमि मे सायल का कोई हक हिस्सा नही है सायल वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार भी दर्ज नही है अतः खाता विभाजन करवाने का अधिकारी भी नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन/अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता सं0 42/39 की कुल 8.0960 हैक्ट भूमि जिसके गैरसायलान स0 1 व 2 प्रत्येक 3/16 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा की चित्रप्रति के अनुसार उक्त वाद भूमि अप्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि है सायल द्वारा उक्त बैयनामें के खण्डन में कोई दस्तावेज पेश नही है किया गया है तथा प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता [illegible] से अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है सायल वर्तमान में उक्त वाद भूमि में रिकार्डेड खातेदार भी दर्ज नही है। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 30.01.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/03/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:12 IST
Reason: SelfAttested